टी. बोर्ड. भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम. सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता - 700001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata - 700 001
www.teaboard.gov.in

दिनांक: 14.10.2025

कार्यालय आदेश सं. 17/2025

कार्यालय आदेश सं. 07/2022 दिनांक 23.02.2022 को रद्द करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश हुआ है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 19024/03/2021-ई-IV दिनांक 31 दिसंबर, 2021 के अनुसार, हवाई यात्रा के सभी मामले जहां भारत सरकार हवाई यात्रा का व्यय वहन करती है, हवाई टिकट निम्नलिखित तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों में से किसी से भी खरीदे जाएंगे:-

i) मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल)
ii) मैसर्स. अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी)
iii) भारतीय रेलवे आहार प्रबन्ध एवं पर्यटन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने दिनांक 16 फ़रवरी, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19024/03/2021-ई-IV के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी व्यय पर घरेलू (एलटीसी सहित) और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएँ, दोनों ही निजी एयरलाइनों द्वारा की जा सकती हैं। हालाँकि, टिकट केवल उपरोक्त तीन अधिकृत एजेंटों के माध्यम से ही खरीदे जाएँगे।

प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए निम्नलिखित दिशानिदेश विस्तृत रूप से दिए गए हैं -

1.	दौरे के अनुमोदन के बाद, संबंधित अधिकारी या ऐसे अधिकारियों से संबद्ध निजी सहायक/आशुलिपिक द्वारा पात्रता के अनुसार सस्पेंस अग्रिम प्राप्त करने के बाद हवाई टिकट बुक किया जा सकता है:
2.	अनुमोदित यात्रा के लिए लिया गया सस्पेंस अग्रिम यात्रा समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर चुकाया जाना चाहिए, अन्यथा आगे अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी:
3.	एलटीसी के लिए आहरित सस्पेंस अग्रिम का भुगतान यात्रा पूरी होने के बाद बोर्डिंग पास आदि सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके एक महीने के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
4.	अत्यावश्यक स्थिति में, अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं उपरोक्त प्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों से हवाई टिकट बुक कराएं, जिसकी प्रतिपूर्ति टी बोर्ड द्वारा दावा प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी।
5.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता की सचिवालय शाखा केवल बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों के हवाई टिकट बुक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।
6.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता की सचिवालय शाखा भी आवश्यकतानुसार/निदेशानुसार उपाध्यक्ष के हवाई टिकट बुक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:-

1.	बोर्ड के मुख्यालय , कोलकाता के सभी अधिकारी (उप-अध्यक्ष को छोड़कर)	निर्देशों का पालन करने तथा आदेश की विषय-वस्तु को अधिकारी अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों तक पहुंचाने के अनुरोध सहित
2.	कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड, कून्नूर एवं गुवाहाटी	-वही-
3.	वि.स एवं मु.ले.अ	
4.	DDTD, Siliguri, SO (NWI), New Delhi, FAO, Palampur & all ROs / SROs.	
5.	उपाध्यक्ष के निजी सहायक	
6.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
7.	सचिवालय शाखा	

संदर्भ. मिसिल सं. सचिव/5/2025सचिवालय